तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिसियल्स जज हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व अपील संख्या 15/2018 अनवान पाबुराम बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत जालीपा एवं अन्य

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय जालीपा पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 28.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, राजीव गांधी सेवा केन्द्र जालीपा पर पत्रावली पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

28.10.2021

पत्रावली राजीव गांधी सेवा केन्द्र जालीपा पर पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। उत्तरदाता सं0 01 उपस्थित। अपीलार्थी का कथन है, कि अपीलार्थी एवं उत्तरदाता सं0 03 से 04 के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा जालीपा पटवार मण्डल जालीपा में आई हुई है। खातेदार राजू पुत्र आदा की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण सं0 367 दिनांक 22.12.2010 ने विधि एवं तथ्य की भूल ग्राम पंचायत, जालीपा द्वारा की गई है। मृतक खातेदार के जायन्दा पुत्र अपीलार्थी जायन्दा पुत्रीया उत्तरदाता सं0 03 से 04 है। अपीलार्थी की माता का 30 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया है, परन्तु पारित नामान्तरकरण में लक्ष्मी पत्नी राजूराम अंकित कर दिया है जो अषुद्ध नाम एवं गलत है। अपीलार्थी ने नामान्तरकरण को निरस्त करने एवं ग्राम जालीपा पटवार मण्डल जालीपा में स्थित खसरा नं. 98 रकबा 0.14 बिस्वा, खसरा नंबर 99 रकबा 50.05 बीघा, खसरा नंबर 123 रकबा 67.15 बीघा कुल 118.14 बीघा में अपीलार्थी की माता का नाम गलत रूप से दर्ज किया गया जिसे हटाया जाकर अपीलार्थी के पिता के सही उत्तराधिकारी अपीलार्थी एवं उत्तरदाता सं0 03 से 04 का दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपील पंजीयन कर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उत्तरादातागण बावजूद सम्मन तामिल अनुपस्थित रहे। तहसीलदार, बाड़मेर से अपील में अंकित तथ्यो के बारे में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। मजमे आम में उपस्थित लोगो से जानकारी ली गई। मृतक खातेदार राजूराम के लक्ष्मी नाम की कोई भी पत्नी नही थी उसकी पत्नी की 30 वर्ष पेहले देहान्त हो चुका है। मजमे आम नें राजस्व रेकर्ड में मृतक खातेदार राजूराम सही विधिक वारिशों मे अपीलार्थी पाबुराम के साथ उसकी दोनो सगी बहने उत्तरदाता 03 से 04 का नाम संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने की सहमति व्यक्त की है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, जालीपा द्वारा अपीलधीन नामान्तरकरण सं0 367 पर पारित आदेष दिनांक 22.12.2010 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि नये सिरे से नामान्तरकरण खोला जाकर ग्राम जालीपा पटवार मण्डल जालीपा में स्थित खसरा नं. 98 रकबा 0.14 बिस्वा, खसरा नंबर 99 रकबा 50.05 बीघा, खसरा नंबर 123 रकबा 67.15 बीघा कुल 118.14 बीघा भूमि में अंकित खातेदार पाबुराम पुत्र राजूराम एवं लक्ष्मी पत्नी राजूराम के स्थान पर पाबुराम पुत्र राजूराम एवं उसकी दोनो बहनों उत्तरदाता संख्या 03 छगनी पुत्री राजूराम एवं उत्तरदाता संख्या 04 सुगणी पुत्री राजूराम का नाम अंकित करते हुए समस्त राजस्व अभिलेख में अमलदरामद सुनिश्चित करावे। आदेश मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर